न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–3477 / 2025
कारू दास उर्फ विवेक कुमार बनाम् बिहार सरकार
बिदुपुर थाना कांड संख्या–634 / 2025
अधीन धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109, 329(3), 303(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

06.05.2026 बिदुपुर थाना कांड संख्या–634 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109, 329(3), 303(2), 352, 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **कारू दास उर्फ विवेक कुमार उम्र–20 वर्ष पेसर–अर्जुन दास** साकिन–मझौली, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री प्रवीण कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक है कि, दिनांक–20.10.2025 को समय करीब 08.00 बजे रात्री में सनोज दास उर्फ दरवर दास, सुशील दास, राहुल कुमार, कारू दास उर्फ विवेक कुमार, विकाश कुमार एवं अंकित कुमार सभी एक मत होकर अपने अपने हाथों में लाठी डंडा तथा लोहे के रड लेकर सूचक के दरवाजे पर आकर गंदी–गंदी गाली दे रहा था। गाली देने से मना करने पर उक्त सभी ने अपने–अपने हाथों में लिए लाठी डंडा तथा लोहे के रड से ताबड़–तोड़ हमला करने लगा, इसी क्रम में सनोज दास उर्फ दरवर दास जान माने के नियत से सूचक के सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया तथा काफी खुन निकलने लगा। शोर शराबा का आवाज सुन कर सूचक का छोटा भाई बीच बचाव करने आया तो उक्त सभी ने उसे भी बेरहमी से मारा। मारपीट के क्रम में सुशील दास सूचक के छोटे भाई का बाया हाथ का अंगुली फार दिया जिससे काफी खुन निकलने लगा। इसी क्रम में राहुल कुमार तथा कारू दास उर्फ विवेक कुमार मारते हुए सूचक के गले से सोने का बजरंगबली निकाल लिया। शोर–शराबा की आवाज सून कर अगल–बगल के लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया तब उक्त सभी ने जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सूचक अपना इलाज पीएचसी बिदुपुर में कराया।

आवेदक के विद्वान अधिवकता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें इस मामले में भूमि विवाद के कारण झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य और बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा–109 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर

Web copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–3477 / 2025
कारू दास उर्फ विवेक कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार
06.05.2026

मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गंदी–गंदी गाली देने, लाठी डंडा तथा लोहे के रड से ताबड़–तोड़ हमला करने, सनोज दास उर्फ दरवर दास पर सूचक के सर पर मारने का आरोप है। सूचक का छोटा भाई को उक्त सभी के द्वारा उसे बेरहमी से मारने, सह अभियुक्त सुशील दास पर सूचक के छोटे भाई का बाया हाथ का अंगुली फाड़ देने तथा राहुल कुमार एवं कारू दास उर्फ विवेक कुमार पर सूचक के गले से सोने का बजरंगबली निकाल लेने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका 05 में साक्षी राम प्रसाद दास द्वारा कथित किया गया है कि झगड़े का कारण पूर्व का भूमि संबंधी विवाद है एवं कांड दैनिकी की कंडिका 07 में साक्षी विकास कुमार ने कथित किया गया है कि पूर्व के विवाद को लेकर ऐसा होता रहता है। कांड दैनिकी की कंडिका 06 में साक्षी इंदु देवी ने कथित किया है कि वह घटना के बारे में नहीं जानती है जितना उनका बेटा लिख कर दिया है वही बात है।

जख्मी सूचक पंकज कुमार का जख्म प्रतिवेदन एवं पुरक जख्म प्रतिवेदन इस प्रकार है :–

1. खोपड़ी के दाहिने पार्श्व क्षेत्र में 8 X 1 X 1 से0मी0 आकार का एक फटा हुआ घाव मौजूद है।

2. पिठ के निचले हिस्से में दर्द। उपरोक्त दोनों जख्म चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। जिसे कारित किए जाने का आरोप सनोज दास पर है।

जख्मी विकास कुमार का जख्म प्रतिवेदन एवं पुरक जख्म प्रतिवेदन इस प्रकार है :–

1. बाएं अंगूठे के समिपस्थ भाग में 2 X 0.5 X 0.5 से0मी0 का एक फटा हुआ घाव मौजूद है।

2. बाएं बाएं हाथ की चौथी और पांचवी उंगलियों के बीच की जगह में 1 X 0.5 X 0.5

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–3477 / 2025
कारू दास उर्फ विवेक कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार
06.05.2026

से0मी0 का एक फटा हुआ घाव मौजूद है।
3. सिर के पिछले हिस्से में 1 X 0.5 X 0.5 से0मी0 का एक फटा हुआ घाव है।
4. बाएं अग्रबाहु के पृष्ठीय भाग पर 3 X 2 से0मी0 आकार का एक खरोंच मौजूद है।

उपरोक्त चारों जख्मों को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है, जिसे कारित किए जाने का आरोप सभी अभियुक्तगण पर है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

कांड दैनिकी की कंडिका 29 पर्यवेक्षण टिप्पणी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी अभियुक्त दिवाली के दिन अन्य लोगों के साथ वादी के दरवाजे के सामने पटाखा छोड़ रहे थे। वादी द्वारा इस आधार पर मना किया गया कि उसके पिता हृदय रोगी है परन्तु अभियुक्तगण द्वारा पटाखा बन्द नहीं किये गये और इस बात को लेकर घटना घटित हुई। पर्यवेक्षण टिप्पणी यह भी दर्शित करती है कि राहुल कुमार मारपीट के समय नहीं थे और सरोज दास झगड़ा छुड़ा रहे थे। इन तथ्यों से प्रकट होता है कि घटना पूर्वनियोजित नहीं थी, अपितु एकाएक घटित हुई थी।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official